

प्रेषक,  
निदेशक, पंचायती राज,  
उत्तर प्रदेश।

आवंटन  
अनुदान संख्या-83 (आयोजनागत)  
लेखाशीर्षक-4515007890500-24

सेवा में,

- 1-जिला पंचायत राज अधिकारी,  
जनपद-रायबरेली, सन्तकबीरनगर, बरेली, पीलीभीत, प्रतापगढ़, अमेठी, बलरामपुर, कन्नौज,  
आगरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़, झाँसी, जालौन, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, बस्ती,  
कानपुर देहात, इलाहाबाद, मथुरा, गौतमबुद्धनगर, बदायूँ, शाहजहाँपुर, सिद्धार्थनगर,  
बाराबंकी, गोरखपुर, फैजाबाद, सहारनपुर तथा मदोही।
- 2-जिला पंचायत राज अधिकारी (मु०)/आहरण वितरण अधिकारी,  
पंचायती राज निदेशालय, उ०प्र०।

संख्या: 1/शा०/35/2015-1/126/2015 लखनऊ: दिनांक जून, 2015  
विषय: वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-83 ( स्पेशल कम्पोनेन्ट सब प्लान ) आयोजनागत  
मद में डा० राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत चयनित ग्रामों में  
सी०सी०रोड एवं के०सी०ड्रेन तथा इण्टरलाकिंग टाइल्स निर्माण के अन्तर्गत धनराशि का  
आवंटन।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक संयुक्त सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या-20/2015/1545  
/33-3-2015-100(11)/2014 दिनांक 05 जून, 2015 द्वारा अनुदान संख्या-83 आयोजनागत मद  
में डा० राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत सी०सी०रोड एवं के०सी०ड्रेन तथा  
इण्टरलाकिंग टाइल्स की व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में उक्त योजनान्तर्गत प्राविधानित  
धनराशि रू०-15000.00 लाख के सापेक्ष उक्त सदभित्त शासनादेश दिनांक 05.06.2015 के साथ संलग्न  
फॉट के कालम संख्या 8, 15, 17 में इंगित कुल धनराशि 5350.017 लाख की धनराशि संबंधित जिला  
पंचायत राज अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी के आहरण/व्यय/वितरण हेतु ( परिशिष्ट-01 ) व  
कालम संख्या 10 में इंगित कुल रू० 9.983 लाख की धनराशि निदेशालय के आहरण वितरण  
अधिकारी के आहरण/व्यय हेतु (परिशिष्ट-02) इस प्रकार कुल रू० 5380.00लाख ( रूपया तिरपन  
करोड साठ लाख मात्र ) की धनराशि संलग्न सूची के अनुसार निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के  
अधीन आवंटित की जाती हैं:-

- 1- उक्त आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग समाज कल्याण विभाग द्वारा समय-समय पर इस  
संबंध में जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप सुनिश्चित किया जायेगा।
- 2- उक्त आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग स्वीकृत प्रयोजन के लिए ही किया जायेगा। इतर  
व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।
- 3- आवंटित की जा रही धनराशि का आहरण वित्तीय वर्ष 2015-16 की अवधि में कार्यदायी  
विभागों द्वारा कार्य पर वास्तविक रूप से व्यय/उपयोग की आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा  
तथा व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- बी-2/2015  
/बी०-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30.03.2015 एव डा० राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम  
विकास विभाग द्वारा इस संबंध में जारी किये गये अन्य समस्त आदेशों में उल्लिखित निर्देशों का  
अनुपालन स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय करने से पूर्व कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा।
- 4- उपरोक्तानुसार आवंटित की जा रही धनराशि जो इस आवश्यकतानुसार राजकोष से आहरित  
कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायेगे। सम्बन्धित कार्यदायी संस्था इस धनराशि को डिपोजिट  
खाते में जमा कर उसका डी.सी.एल पद्धति से व्यय करेंगे। अधिष्ठान व्यय की धनराशि को परियोजना  
पर डेबिट करके लोक निर्माण विभाग द्वारा लेखा शीर्ष "1054-सड़क तथा सेतु-800-अन्य  
प्राप्तियों-01-प्रतिशतता प्रभारों की वसूली एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के प्राप्ति  
लेखाशीर्षक"0515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-800-अन्य प्राप्तियों-02-प्रतिशतता प्रभारों की वसूली"  
में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट किया जायेगा।
- 5- उपरोक्त के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र  
किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ०प्र० बजट मैनुअल और  
वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति  
प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली  
जाय।

क०प०उ०

6- उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या- 83 के लेखाशीर्षक "4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-05-समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत सी0सी0 रोड एवं कै0सी0 ड्रेन तथा इण्टरलाकिंग की व्यवस्था-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नागें डाला जायगा।

7- आवंटित की जा रही उक्त धनराशि का व्यय योजना आयोग, भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 के लिए निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

8- सी0सी0रोड एवं कै0सी0ड्रेन के निर्माण के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशानुसार ही प्रश्नगत धनराशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

9- शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-सीए-934/दस-2008-मित-1/2007 दिनांक 02-09-2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

10- आहरण वितरण अधिकारी द्वारा धनराशि का आहरण तिथि, बाउचर संख्या, आहरण की धनराशि सूचना निर्धारित रूपपत्र बी0एम0-4 पर लेखाशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से निदेशालय उपलब्ध कराया जाय। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

11- आवंटित की जा रही धनराशि का आहरण दो किश्तों में किया जायेगा। प्रथम किश्त 75 प्रतिशत व्यय होने के पश्चात् अगली दूसरी किश्त आहरित की जायेगी।

12- किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितताओं के लिये संबंधित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।


13- धनराशि का पूर्ण उपभोग हो जाने पर उपभोग प्रमाण-पत्र निर्धारित रूपपत्र पर महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद तथा निदेशालय को उपलब्ध कराया जाये।

वित्तीय वर्ष 2015-16 में यदि कोई समर्पण हो तो उसकी सूचना निदेशालय को दिनांक 10-03-2016 तक अनिवार्य रूप से भेजी जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आघटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या-106 पर अंकित है।

संलग्न-उक्तानुसार।


भवदीय,

  
( उदयवीर सिंह यादव )  
निदेशक,  
पंचायती राज, उ0प्र0।

संख्या:1/शा0/35/1/2015 उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- वरिष्ठ उपमहालेखाकार स्थायी निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15-1, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0, इलाहाबाद-211001।
- 2- प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 3- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 4- विशेष सचिव, बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण, उ0प्र0 शासन।
- 5- उपसचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
- 6- सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 7- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 8- सम्बन्धित उपनिदेशक मण्डलीय उपनिदेशक (प0), उ0प्र0।
- 9- उपनिदेशक (प0), पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0।
- 10- एस0पी0एम0यू0, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

  
( महेंद्र नारायण )  
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,  
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

Print Report

परिमित-01

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2015-2016

आवंटन दिनांक-05/06/2015

प्रेषण संख्या:- 1-sha-35-2015-1-126-2015  
 आवंटन आदेश संख्या:- 001-126-2015  
 अनुदान संख्या:- 83 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना) (वित्तीय वर्ष 2015-2016 का आवंटन)  
 लेखाशीर्षक:- 4515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय(आयोजनागत-मत्तदेय)  
 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना  
 05 - समग्र ग्राम विकास योजना(अनुसूचित सी0सी0रोड एवं के0सी0

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम	वर्तमान प्रगामी	24-वृहत् निर्माण कार्य	योग
1	साहरनपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	40923900 40923900	40923900 40923900
2	मुज़फ्फर नगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1996300 1996300	1996300 1996300
3	अलीगढ़-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	29944100 29944100	29944100 29944100
4	मथुरा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	19962700 19962700	19962700 19962700
5	आगरा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	17966500 17966500	17966500 17966500
6	बरेली-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	10979500 10979500	10979500 10979500
7	बदायूं-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	4990700 4990700	4990700 4990700
8	शाहजहांपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	17966500 17966500	17966500 17966500
9	पीलीभीत-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	7985100 7985100	7985100 7985100
10	इलाहाबाद-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	3992500 3992500	3992500 3992500
11	झाँसी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	34934800 34934800	34934800 34934800
12	जालौन-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	14972100 14972100	14972100 14972100
13	गोरखपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	28946000 28946000	28946000 28946000
14	बस्ती-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	16968300 16968300	16968300 16968300
15	रायबरेली-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	61884500 61884500	61884500 61884500

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम	वर्तमान प्रगामी	24-वृहत् निर्माण कार्य	योग
16	फैजाबाद-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	29944200 29944200	29944200 29944200
17	प्रतापगढ़-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	19962700 19962700	19962700 19962700
18	बाराबंकी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	48908700 48908700	48908700 48908700
19	कानपुर देहात-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	19962700 19962700	19962700 19962700
20	सिद्धार्थनगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	7985100 7985100	7985100 7985100
21	फिरोजाबाद-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	4990700 4990700	4990700 4990700
22	संत रविदास नगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	20960900 20960900	20960900 20960900
23	गौतमबुद्ध नगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	5988800 5988800	5988800 5988800
24	बलरामपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	5988800 5988800	5988800 5988800
25	संत कबीर नगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	21959000 21959000	21959000 21959000
26	बागपत-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1996300 1996300	1996300 1996300
27	कन्नौज-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	3992500 3992500	3992500 3992500
28	अमेठी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	19962700 19962700	19962700 19962700
29	शामली-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	7985100 7985100	7985100 7985100
	योग	वर्तमान प्रगामी	535001700 535001700	535001700 535001700

महायोग- (वर्तमान आवंटन):-  
महायोग- (प्रगामी आवंटन):-

रूपया तिरैपन करोड़ पचास लाख एक हजार सात सौ  
रूपया तिरैपन करोड़ पचास लाख एक हजार सात सौ

(महेन्द्र नारायण)  
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी